माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी

निगरानी - 4517/2018/रीवा/भू.रा.

भीमसेन पिता श्री माधव प्रसाद मिश्र

निवासी–ग्राम सगरा कला, थाना व ताहसील

हनुमना, जिला रीवा म.प्र.

.... आवेदक

बनाम

1. विश्वनाथ प्रसाद
2. त्रियुगी नारायण
3. केदार नाथ

सभी के पिता स्व. श्री रामचन्द्र ब्रा0

निवासी–ग्राम सगराकला थाना व तहसील

हनुमना जिला रीवा म.प्र.

.... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50म.प्र.भू राजस्व संहिता

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र. प्रकरण क्रमांक 07/अ–6/17–18 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2018।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है –

2018 July-461

1 यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि व प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–4517/2018/रीवा/भू.रा.

भीमसेन विरूद्ध विश्वनाथ प्रसाद आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री आई.पी. द्विवेदी एवं अनावेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी हनुमना, जिला–रीवा के प्रकरण क्रमांक 07/अ–6/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 05–07–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 13–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य	